उत्तराखण्ड शासन

फोन/फैक्स नं0– 0135–2781201
ईमेलआईडी–info@ukmc.in

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग

अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कालोनी अधोईवाला देहरादून।

दिनांक 04.01.2024 को प्रातः 11:00 बजे श्री मज़हर नईम नवाब, मा0 उपाध्यक्ष (राज्य मंत्री स्तर) उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग देहरादून द्वारा जनपद देहरादून के विकासभवन सभागार में "जन–जानकारी अभियान" कार्यक्रम एवं समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त–

दिनांक 04.01.2024, को जनपद देहरादून के विकासभवन सभागार में जन–जानकारी अभियान कार्यक्रम एवं समीक्षा बैठक में उपस्थित महानुभाव एवं अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का विवरणः–

1. श्री मज़हर नईम नवाब, मा0 उपाध्यक्ष, उत्तराखण्ड अल्पसख्यक आयोग, देहरादून।
2. श्रीमती सीमा जावेद, मा0 सदस्य, उत्तराखण्ड अल्पसख्यक आयोग, देहरादून।
3. श्री गुलाम मुस्तफा, मा0 सदस्य, उत्तराखण्ड अल्पसख्यक आयोग, देहरादून।
4. सुश्री झरना कमठान, (आई.ए.एस.) मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून।
5. श्री प्रत्यूष सिंह, अपर जिलाधिकारी, प्रशासन, देहरादून।
6. श्री अनुज, पुलिस क्षेत्राधिकारी, यातायात, देहरादून।
7. श्री गोपाल राम बिनवाल, उप नगर अधिकारी,नगर निगम, देहरादून।
8. श्री विक्रम सिंह, परियोजना निदेशक, डीआरडीए, देहरादून।
9. श्री विकास संगारी, प्रबन्धक, जिला अग्रणी बैंक, देहरादून।
10. श्री विद्या सिंह सेमवाल, जिला पंचायत राज अधिकारी, देहरादून।
11. डॉ0 राजीव मोहन शर्मा, उप मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, देहरादून।
12. श्री जितेन्द्र कुमार, डीपीओ., डब्लूईसीडी, देहरादून।
13. श्री सी.पी.एस.रावत, परियोजना प्रबन्धक, पेयजल निगम, विकासनगर, देहरादून।
14. श्री शशि कान्त गिरी, जिला अर्थ एवं सांख्याधिकारी, देहरादून।
15. श्री रविन्द्र पाल, अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, देहरादून।
16. श्री अजय सिंह, क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी, देहरादून।
17. श्री विनोद तिवारी, सहायक निदेशक, रेशम विभाग, देहरादून।
18. श्री विनोद यादव, जनपद प्रभारी, मत्सय विभाग, देहरादून।
19. श्री शिव प्रताप सिंह, दुग्ध निरीक्षक, डेरी विभाग, देहरादून।
20. श्री संजय सिंह, अधिशासी अभियन्ता, यूजेएस, देहरादून।
21. श्री मनोज, युवा कल्याण अधिकारी, देहरादून।
22. डॉ0 नरेन्द्र कुमार, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, देहरादून।
23. श्री राजेन्द्र पीडी थपलियाल, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, जिला उद्योग केन्द्र, देहरादून।
24. श्री वी.पी. बधानी, सहायक अभियन्ता, नगरपालिका, मंसूरी,।
25. श्री वेद प्रकाश बधानी, सहा0 अभि0, नगरपालिका परिषद, मंसूरी।
26. श्री प्रदीप कुमार रावत, मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून।
27. श्री वी.के.तिवारी, सहायक अभियन्ता, मण्डी परिषद, देहरादून।
28. श्री विपिन चन्द्र देवली, अवर अभियन्ता, मण्डी परिषद, देहरादून।
29. श्री आशीष ममगई, सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, देहरादून।
30. डॉ0 मिनाक्षी जोशी, प्रमुख उद्यान अधिकारी, देहरादून।
31. श्री गोरधन सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून।
32. श्री इन्द्रेश कोठारी, क0स0, सूचना विभाग, देहरादून।
33. श्रीमती रश्मि भट्ट, अपर जिला सहकारी अधिकारी, सहकारित, देहरादून।
34. श्री बी.एस.नेगी, सहायक अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान।
35. श्रीमती ललिता सिंह, मुख्य कृषि अधिकारी, देहरादून।
36. श्री भानू प्रताप सिंह, यूपीसीएल,, देहरादून।
37. श्री अनिल नेगी, जलकल अभियन्ता, जल संस्थान, ऋषिकेश।

38. श्री रमेश भट्ट, ए.एच.डी., देहरादून।
39. श्रीमती प्रियंक गुसाई रावत, सहा.अल्पसंख्यक कल्याण, अधिकारी, देहरादून।
40. श्रीमती फरीदा खातून, सहा. अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, देहरादून।
41. श्री होशियार सिंह बोहरा, सहा0प्रबन्धक, वक्फ विकास निगम, देहरादून।
42. श्रीमती रेशमा, क0नि0, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय, देहरादून।
43. श्री जे.एस.रावत, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, देहरादून।
44. श्रीमती शमा प्रवीन, वैयक्तिक सहायक, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।

सर्वप्रथम मा0 उपाध्यक्ष महोदय की आज्ञानुसार समीक्षा बैठक का सुभारम्भ करते हुए बैठक में उपस्थित समस्त विभागों के प्रतिनिधियों का परिचय प्रारम्भ किया गया। तत्पश्चात् मा0 उपाध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त महानुभाव, अधिकारियों, व कर्मचारियों का स्वागत करते हुए बैठक में भारत सरकार एवं राज्य सरकार की गरीब कल्याणकारी योजनाओं को प्रदेश में स्थित समस्त गांवों के अन्तिम छोर तक पहुचांये जाने के सम्बन्ध में विभागवार समीक्षा की गयी।

1. **पुलिस विभागः–** बैठक में उपस्थित पुलिस क्षेत्राधिकारी, यातायात, देहरादून द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद देहरादून में अल्पसंख्यकों के 30 मामले पंजीकृत किये गये है, जिनमें से 03 मामलों में चार्ज शीट मा0 न्यायालय को प्रेषित की जा चुकी है। मा0 उपाध्यक्ष महोदय द्वारा जनपद देहरादून में पंजीकृत गौकशी के मामलों की अद्यतन स्थिति चाही गयी, जिसके सम्बन्ध में वर्ष 20222–23, 2023–24 में दर्ज गौकशी के मामलों की सूची तथा गैगस्टर के मामलों की सूची तत्काल उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये। इसके साथ ही बैठक में मा0 सदस्य, श्री गुलाम मुस्तफा द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर, 2023, को अल्पसंख्यक आयोग एवं पुलिस विभाग के सहयोग से मनाये गये विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस में प्रदेश के समस्त थानों में मा0 आयोग द्वारा प्रचार–प्रसार की सामग्री व थानों में बुलाये जाने वाले जनप्रतिनिधियों की सूची उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त भी संबंधित थानों द्वारा उसका पालन न किये जाने के सम्बन्ध में भी स्थिति एक सप्ताह के अन्दर मा0 आयोग को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून)

2. **विकास विभागः–** बैठक में उपस्थित मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून एवं परियोजना निदेशक, डीआरडीए द्वारा अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना–गामीण के अन्तर्गत वर्ष 2023–24 में कुल 95 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है। साथ ही विकास विभाग से संबंधित सभी योजनाओं का लाभ भी समय–समय पर बहुसंख्यकों के साथ अल्पसंख्यकों को भी लाभान्वित किया जाता है तथा सभी योजनाएं भारत सरकार एवं राज्य सरकार के ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से संचालित हो रही है। मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून से अपेक्षा की गयी कि सभी योजनाओं का प्रचार–प्रसार गांव के अन्तिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक पहुंचाये जाने हेतु संबंधित खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से यथोचित कार्यवाही करें।

(कार्यवाही मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून)

3. **राजस्व विभाग विभागः–** बैठक में उपस्थित अपर जिलाधिकारी, प्रशासन, देहरादून द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद देहरादून के अन्तर्गत निवासरत् बहुसंख्यकों के साथ–साथ अल्पसंख्यकों को भी जाति प्रमाण–पत्र, आय प्रमाण–पत्र व अन्य प्रमाण–पत्र तत्समय निर्गत किये जा रहे है। इस सम्बन्ध में संज्ञान में आया कि जनपद देहरादून के त्यूनी क्षेत्र में निवासरत् अल्पसंख्यक समुदाय को अल्पसंख्यक प्रमाण–पत्र निर्गत नहीं किये जा रहे है। प्रकरण मा0 आयोग की ओर से एक माह पूर्व जिलाधिकारी, देहरादून को सन्दर्भित किये जाने के उपरान्त भी कृत कार्यवाही से आतिथि अवगत नहीं कराया गया। बैठक में ही अपर जिलाधिकारी, प्रशासन, देहरादून द्वारा दूरभाष से उपजिलाधिकारी, त्यूनी को निर्देशित किया गया कि तत्काल अल्पसंख्यक समुदाय के प्रमाण–पत्र निर्गत करें, तत्समय उपजिलाधिकारी, त्यूनी द्वारा अवगत कराया गया कि मामला उनके संज्ञान में है शीघ्र ही कार्यवाही कर मा0 आयोग को अवगत कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त ऐसी ही स्थिति विकासनगर तहसील में भी है, जिसके सम्बन्ध में भी यथोचित कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये। साथ ही तहसील कालसी में श्रीमती जाहिदा बेगम आदि को आवास स्थल भूमि पट्टा लगभग 3 वर्ष से राजस्व विभाग में लम्बित है। इस सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि मामले का संज्ञान लेते हुए यथोचित कार्यवाही कर मा0 आयोग को अवगत कराया जायेगा।

(कार्यवाही जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी, प्रशासन, देहरादून)

4. **जल संस्थान/जल निगम विभाग**:– बैठक में उपस्थित अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि उनके विभाग मे पृथक से कोई योजना अत्यसख्यकों हेतु चिन्हित नहीं है। विभाग द्वारा जल मिशन के अन्तर्गत ग्राम भुड्डी मे एक बड़ी योजना निर्माणाधीन है, जिसमें 3 ऑवर टैंक है, जिसमें पुराने ऑवरटैक की मरम्मत के साथ-साथ नई टैंक व पाईप लाईन बिछाने भी सम्मिलित है। ऐसे ही विकासखण्ड सहसपुर एव विकासनगर में सहित कुल 54 योजनाएं स्वीकृत है, जिनमें कतिपय योजनाओं मे 60 से 40 प्रतिशत तक कार्य पूर्ण हो चुका है। इस सम्बन्ध में स्वीकृत योजनाओं से संबंधित लागत, नक्शा आदि विस्तृत सूचनाओ की प्रति एक सप्ताह के अन्दर मा0 आयोग को उपलब्ध कराये जाने के साथ-साथ निर्माण कार्यों की प्रगति तीव्र किये जाने के निर्देश दिये गये, ताकि मार्च, 2024 तक निर्माण कार्य पूर्ण हो सके।

(कार्यवाही जल संस्थान/जल निगम, देहरादून)

5. **पंचायती राज विभाग**:–बैठक में उपस्थित अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार के द्वारा ग्रामो में पंचायत भवन आदि का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु रूपये 14 करोड 67 हजार की धनराशि स्वीकृत है, जिसमें से लगभग 55 प्रतिशत धनराशि व्यय हो चुकी है। उक्त धनराशि में से 60 प्रतिशत स्वच्छता, पेयजल तथा 40 प्रतिशत सड़क, नाली आदि के निर्माण के लिए निर्धारित किया गया है। मा0 उपाध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त योजनान्तर्गत कितने स्कूलों में शौचालय बने है, की सूची एक सप्ताह के अन्दर मा0 आयोग को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही पंचायती राज विभाग, देहरादून)

6. **बाल विकास एवं कार्यक्रम विभाग**:– बैठक में उपस्थित अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद देहरादून में 1960 आंगनबाड़ी केन्द्र है, जिसमें से 650 केन्द्र किराये के भवन में संचालित हो रहे है। वर्तमान में 350 आंगनबाड़ी केन्द्र बनाये जाने की स्वीकृति हेतु धनराशि भारत सरकार के स्तर से प्राप्त हुई है, जिनमें से 264 आंगनबाड़ी केन्द्रों के प्रस्ताव हेतु ही भूमि प्राप्त हो पायी है, जिनमें 89 आंगनबाड़ी प्रा0 स्कूलों के परिसर में निर्मित होगी तथा 264 में व्यक्तियों द्वारा दान भूमि भी सम्मिलित है। अन्य क्षेत्रों में जमीन नहीं मिल पा रही है। इस सम्बन्ध में मा0 उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संज्ञान में लाया गया कि प्रदेश में आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थिति अत्यन्त दयनीय है, जबकि आंगनबाड़ी केन्द्र ही प्रथम पाठशाला है, जहां छोटे–छोटे बच्चे शिक्षा ग्रहण करते है। सरकार द्वारा शिक्षा एवं स्वच्छता पर विशेष ध्यान देते हुए देश के भविष्य को संवारने हेतु प्रयासरत् है, किन्तु प्रदेश में आंगनबाड़ी केन्द्र अत्यन्त जरजर हालत में किराये के भवन, जहां साफ–सफाई तथा बच्चों को मिलने वाले खाद्यान की उचित व्यवस्था न होने के कारण स्थिति दयनीय है, जिन्हें सुधारने की आवश्यकता है, जिस हेतु स्वीकृत 350 आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण होने अतिआवश्यक है। इस हेतु आंगनबाडी केन्द्रों को पंचायत घर, सामुदायिक भवन या अन्यत्र सरकारी भवन आदि में स्थित भूमि में निर्मित किये जाने पर विचार किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून को संबंधित विभाग के साथ बैठक आहूत कर स्वीकृत धनराशि का पूर्ण व्यय किये जाने की अपेक्षा की गयी साथ ही संबंधित अधिकारी को जिस क्षेत्र में भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रही है तथा जहां उपलब्ध है, से संबंधित सूची एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही मुख्य विकास अधिकारी, एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी, देहरादून)

7. **नगर निगम विभाग**:–संबंधित अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि नगर निगम के अन्तर्गत कौशल विकास के अन्तर्गत महिला समूह के रूप में समूह चल रहे है, जिनमें 3 प्रोजेक्ट बने है, 2 नये तथा 1 पुराना है, कुल 59 समूह बने हुए है, किन्तु विवरण उपलब्ध नही है। उप नगर आयुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि नगर निगम से जितने भी योजनायें संचालित है, उसको सम्पूर्ण नगर निगम में संचालित किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में मा0 उपाध्यक्ष द्वारा महिलाओं के समूह को मुख्यमंत्री हुनर योजनान्तर्गत भी महाप्रबन्धक, वक्फ विकास निगम एवं उद्यान विभाग के साथ बैठक स्थापित कर महिला समूहों को प्रशिक्षण देते हुए स्थानीय उत्पाद यथा अचार, पापड़, बैकरी उत्पाद, मुरब्बा, आदि को रोजगारपरक योजनाओं से जोड़ा जाये तथा नगर निगम में संचालित समूहों का विवरण एक सप्ताह के अन्दर मा0 आयोग को उपलब्ध कराया जाये।

(कार्यवाही मुख्य नगर अधिकारी,, नगर निगम, देहरादून)

8. **अगणी बैंक**:–बैठक में संबंधित अधिकारी द्वारा ऋण योजनाओं के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है, किन्तु बैठक में मुख्यमंत्री स्वरोजगार एवं अल्पसंख्यक स्वरोजगार आदि योजनाओं के आवेदन बैंकों में चयन होने के पश्चात भी लम्बित है। संबंधित बैंक अनावश्यक रूप से लाभार्थियों को परेशान कर रहे है। लाभार्थियों को समय पर ऋण नहीं दिया जा रहा है। सरकार की अनुदान की राशि का पूर्ण व्यय न होने के कारण समर्पण किया जाता है, जो कि अत्यन्त खेद जनक है। अग्रणी बैंक के द्वारा कोई भी रूचि इस सम्बन्ध में नहीं ली जाती है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून

से अपेक्षा है कि संबंधित बैंकों को कठोर निर्देश दिये जाये कि चयनित अभ्यर्थियों को तत्काल नियमानुसार ऋण का भुगतान करें। इस सम्बन्ध में श्री गुलाम मुस्तफा, मा0 सदस्य द्वारा भी अवगत कराया गया कि उनके द्वारा भी विभिन्न बैंकों में समन्वय स्थापित किया। बैंक अनावश्यक रूप से अभिलेखों की मांग कर परेशान करते है। श्री गुलाम मुस्तफा, मा0 सदस्य, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून से भी अपेक्षा है कि स्वयं जिला अग्रणी बैंक से सम्पूर्ण ऋण प्राप्ति के सम्बन्ध में जानकारी लेकर मा0 आयोग को भी अवगत करायें।

(कार्यवाही जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/जिला अग्रणी बैंक, देहरादून)

9. **शिक्षा विभागः**–बैठक में उपस्थित मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद देहरादून में 31 मदरसें तथा 10 अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाएं सरकार द्वारा अनुदानित है। मा0 उपाध्यक्ष महोदय द्वारा मदरसों में मीड–डे–मील एवं अन्य स्थिति की जानकारी चाही गयी, जिसके सम्बन्ध में जांच कर अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गयी। इस सम्बन्ध में मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून को जनपद में संचालित मदरसों का सम्पूर्ण रूप से निरीक्षण करवाते हुए मीड–डे–मील, पठन–पाठन, छात्रवृत्ति एवं मान्यता के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कर आख्या 15 दिन के अन्दर मा0 आयोग को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून)

10. **सेवायोजन विभागः**–बैठक में उपस्थित अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यालय में 10674 बच्चे पंजीकृत है। वर्ष 2017 में कौशल विकास योजना के अन्तर्गत 10361 बच्चों को ट्रेनिंग दी गयी है, किन्तु वर्तमान में कोई टारगेट न होने के कारण योजना संचालित नहीं है।
11. **कृषि विभागः**– बैठक में उपस्थित अधिकारी द्वारा अगवत कराया गया कि उनके विभाग में अल्पसंख्यकों हेतु पृथक से कोई योजना संचालित नहीं है। विभाग द्वारा समस्त योजनाएं ऑनलाईन के माध्यम से संचालित है। कृषकों द्वारा साईबर कैफे से अप्लाई करने पर योजना का लाभ प्राप्त होता है। विभाग द्वारा बीज, उपकरणों, सिंचाई जीओ मैपिंग, टैन्गा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना संचालित है। जनपद देहरादून में किसानों को 6 टेक्ट्र दिये गये है, जिस हेतु किसान के पास अपनी भूमि होनी चाहिए। 3 माह तक अनुबन्ध के अनुसार वेरिफिकेशन करते है। इस सम्बन्ध में मा0 उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संज्ञान में लाया गया कि उक्त योजना का लाभ पात्र किसान को नहीं मिल पा रहा है। टेक्ट्र से कृषि का कार्य न करते हुए खनन का कार्य किया जा रहा है, जो स्थिति अत्यन्त खेदजनक है, जिस हेतु उपकरण एवं टेक्ट्र आदि हेतु सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी खेती के लिए ही प्रयोग में लाये जाने हेतु मॉनिटिरिंग की जानी अति आवश्यक है, जिसके लिए किसानों को दिये गये टेक्ट्रों की आर0आई0 से टैक्निकल परीक्षण कराते हुए तत्पश्चात् सब्सिडी उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही की जाये।

(कार्यवाही मुख्य कृषि अधिकारी, देहरादून)

12. **उद्यान विभागः**– बैठक में उपस्थित अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि विभाग द्वारा बीज, यन्त्र, उपकरणो आदि उपलब्ध कराये जाते है, जिनमें 80 प्रतिशत तक सब्सिडी उपलब्ध करायी जाती है। वर्तमान समय में 1000 पॉली हाउस निर्मित किये जाने का टारगेट प्राप्त हुआ है। जनपद देहरादून में 6 नर्सरी है, जहां पौधे बनते है, जिनका खपत प्रदेश भर में की जाती है। प्रदेश में दो प्रयोगशालाएं स्थित है। रूखसाना व समीर को उद्यान विभाग की योजना से लाभान्वित किया गया है। इनका पूर्ण विवरण उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये, ताकि भविष्य में मा0 आयोग से इनका निरीक्षण किया जा सके। साथ ही मा0 उपाध्यक्ष जी द्वारा उद्यान विभाग से संबंधित योजनाओं का प्रचार–प्रसार कर अधिक से अधिक युवाओं को प्रयोगशालाओं में प्रशिक्षण प्रदान करते हुए रोजगार के अवसर उपलब्ध करायें।

(कार्यवाही प्रमुख उद्यान अधिकारी, देहरादून)

13. **समाज कल्याण विभागः**–बैठक में उपस्थित जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद देहरादून में वृद्धा पेंशन अन्तर्गत 64,944, दिव्यांग पेंशन अन्तर्गत 12042 तथा विधवा महिलाओं की पुत्री हेतु 38 लाभार्थियों को रू0 50,000 धनराशि दी गयी है। इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों की संख्या अति न्यून होने के कारण योजनाओं का प्रचार–प्रसार कर अधिक से अधिक व्यक्तियों को लाभान्वित कर शत्प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून)

14. **मत्सय विभागः**– बैठक में उपस्थित अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद देहरादून में लगभग 500 लाभार्थियों को मछली पालन हेतु धनराशि दी गयी है। इस सम्बन्ध में लाभार्थियों की मछली पालन तालाब सहित सूची मय फोटोग्राफ्स उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये।

(कार्यवाही सहायक निदेशक, मत्सय विभाग, देहरादून)

15. **दुग्ध विभागः**– बैठक में उपस्थित अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद देहरादून में 450 सोसायटी गठित है, जिसमें 205 कार्यशील है, जहां से प्रतिदिन लगभग 14.500लीटर दूध प्राप्त होता है। पूरे शहर में बिकी केन्द्र है, जहां दूध, दही, मक्खन, पनीर आदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहता है तथा 2 आइसक्रीम फैक्ट्री जनपद देहरादून में है। इस सम्बन्ध में दूग्ध का अयात–निर्यात बढ़ाया जाये, ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सके। साथ ही ब्रिकी केन्द्रों की सूची एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही सहायक निदेशक, दुग्ध विभाग, देहरादून)

16. **उद्योग केन्द्रः**–बैठक में उपस्थित अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि विभाग में 592 फार्मों का पंजीकरण किया गया है। वर्तमान में भारत सरकार की कोई योजना नहीं है। सिडकुल भी विभाग के अन्तर्गत ही पंजीकृत है। किन्तु सिडकुल के अन्तर्गत पंजीकृत फर्मों द्वारा कितने युवाओं को रोजगार दिया तथा संबंधित फर्मो द्वारा उत्पादित सामग्री फर्म में ही उत्पाद की जाती है या बाहर से। इस सम्बन्ध में संबंधित अधिकारी को कोई जानकारी नहीं थी। कभी किसी भी फर्म का स्थलीय निरीक्षण नहीं किया गया, जो अत्यन्त खेदजनक है। इस सम्बन्ध में महाप्रबन्धक, उद्योग केन्द्र, देहरादून को निर्देशित किया जाता है कि जनपद देहरादून में कुल पंजीकृत फर्मो की सूची, व उनको दी गयी सब्सिडी तथा फर्मो द्वारा कितने स्थानीय लोगों को रोजगार दिया गया है, उनका निरीक्षण करते हुए बंधित सूचना 15 दिन के अन्दर मा0 आयोग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही महाप्रबन्धक, उद्योग केन्द्र, देहरादून)

17. **पशुपालन विभागः**– बैठक में उपस्थित अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि विभाग द्वारा बकरी, गाय पालन आदि की योजना है, जिसमें रूपये 1 करोड़ तक की धनराशि में 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। विभाग द्वारा पोल्टी फार्म हेतु भी सहायता प्रदान की जाती है। इस सम्बन्ध में जनपद देहरादून में स्थापित पोल्टी फर्मो के लाभार्थियों की सूची उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,, देहरादून)

18. **युवा कल्याण विभागः**–बैठक में उपस्थित अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि विभाग द्वारा जनपद के अन्तर्गत संचालित समस्त विभागों यथा, सचिवालय, पुलिस विभाग व अन्य जनपदीय विभागों में प्रशिक्षित स्वयं सेवकों को रोजगार हेतु भेजे जाते है। वर्तमान में कोई योजना संचालित नही है। इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा कितने अल्पसंख्यकों को रोजगार हेतु संबंधित विभागों को भेजा गया है, की सूची एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही जिला युवा कल्याण विभाग अधिकारी, देहरादून)

19. **रेशम विभागः**– बैठक में उपस्थित अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद देहरादून में 25 रेशम की फार्म स्थित है। सभी फार्मों में पेड उपलब्ध है, जिनसे रेशम निकाला जाता है। 2000 लाभार्थी है। जनपद देहरादन विस्तृत होने के दृष्टिगत लाभार्थियों की संख्या कम है, इसमें वृद्धि किया जाना उचित है।

(कार्यवाही सहायक निदेशक, रेशम विभाग, देहरादून)

20. **सहकारित विभागः**– बैठक में उपस्थित अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि विभाग में दीन दयाल योजना संचालित है, किन्तु संबंधित अधिकारी द्वारा विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस सम्बन्ध में योजना से संबंधित लाभान्वितों की सूची उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही जिला सहायक निबन्धक, सहकारिता विभाग, देहरादून)

21. **चिकित्सा विभागः**–बैठक में उपस्थित अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद देहरादून में 44 स्वास्थ्य उपकेन्द्र है। आयुष्मान योजना के अन्तर्गत कितने प्राइवेट अस्पताल पंजीकृत है, के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि उक्त योजना राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा संचालित की जा रही है, की सूची प्राधिकरण से प्राप्त कर उपलब्ध करायी जायेगी। मुख्य चिकित्साधिकारी, देहरादून को निर्देशित किया जाता है कि आयुष्मान योजना के अधिकृत स्वास्थ्य केन्द्रों की सूची के साथ ही भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य जागरूक हेतु चलायी जा रही योजनाओं का सम्पूर्ण विवरण एक सप्ताह के अन्दर मा0 आयोग को उपलब्ध करया जाये।

(कार्यवाही मुख्य चिकित्साधिकारी, देहरादून)

22. **विद्युत विभागः**–बैठक में उपस्थित अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि विभाग द्वारा शुभाग्य योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को 100 यूनिट तक बिजली फ्री दी जा रही है। लाभार्थियों की सूची अप्राप्त है, निर्देशित किया गया कि एक सप्ताह के अन्दर लाभार्थियों की सूची तथा विवरण मा0 आयोग को उपलब्ध कराया जायें।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड/नोडल अधिकारी, रायपुर, देहरादून)

23. अल्पसंख्यक कल्याण विभागः—बैठक में उपस्थित संबंधित अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में विकास योजना, अल्पसंख्यक विकास निधि योजना, प्रधानमंत्री ,न–विकास योजना के अन्तर्गत कार्यदायी संस्थायें पेयजल निगम, मण्डी परिषद, लघु सिंचाई, नगरपालिका मंसूरी के द्वारा निर्माण कार्य किये जा रहे है। विभागवार समीक्षा की गयी। संबंधित निर्माण एजेन्सियों को निर्देशित किया गया कि वर्ष 2022–23 के निर्माण कार्यों को पूर्ण करते हुए 15 जनवरी, 2024 तक अनिवार्य रूप से उपयोगिता प्रमाण–पत्र अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को हस्तगत करते हुए मा0 आयोग को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री हुनर योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून में 18 एन.जी.ओ. कार्य कर रही है। सभी एन.जी.ओ. के द्वारा प्रशिक्षण लाभार्थियों को अवश्य रूप से रोजगार मुहैया कराया जाये।

(कार्यवाही जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी,/ समस्त कार्यदायी संस्था, देहरादून)

बैठक में जिलापूर्ति अधिकारी, जिला पर्यटन अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो0नि0विभाग, प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, देहरादून, उत्तराखण्ड परिवहन निगम बैठक में उपस्थित नहीं हुए। मा0 उपाध्यक्ष जी द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून से अपेक्षा की गयी कि संबंधित अधिकारियों का स्पष्टीकरण प्राप्त कर मा0 आयोग को अवगत करायें।

अन्त में मा0 उपाध्यक्ष जी द्वारा सभी उपस्थित अधिकारियों को भारत सरकार एवं राज्य सरकार की गरीब कल्याणकारी योजनाओं को गांव के अन्तिम छोर के नागरिक को पहुंचाये जाने हेतु अधिक से अधिक योजनाओ का अपने स्तर से प्रचार–प्रसार कर लाभान्वित करें। कौशल विकास से संबंधित विभागों को विशेषकर महिलाओं/युवाओं को अधिक से अधिक संख्या में प्रशिक्षित करते हुए रोजगार हेतु लाभान्वित करे तथा अग्रणी बैंक को भी निर्देशित किया जाता है कि वह समस्त बैंकों को निर्देशित करे कि रोजगार की दृष्टि से अधिक से अधिक लाभार्थियों को ऋण प्रदान कर रोजगार मुहैया करायें। मा0 आयोग को उद्देश्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ शतप्रतिशत धरातल तक पहुंचाये जाने की अपेक्षा है। समस्त उपस्थित अधिकारियों का सधन्यवाद करते हुए बैठक समाप्त की गयी।

आज्ञा से,

सचिव,
उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग,
देहरादून।

कार्यालय–उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग देहरादून

पत्रांक 1318 **/उ0अ0स0/जनपद देहरादून/समीक्षा बैठक–कार्यवृत्त/2023–24 दिनांक** 05 **जनवरी, 2024**
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वक्फ विकास निगम देहरादून।
3. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, देहरादून।
4. जिलाधिकारी, देहरादून।
5. मुख्य विकास अधिकारी देहरादून।
6. बैठक में उपस्थित उपरोक्तानुसार समस्त प्रतिभागी।
7. संबंधित पत्रावली।
8. गार्ड पत्रावली।

सचिव,
उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग,
देहरादून।